न्यायालय: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सं.02,चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी : **राजेश कुमार मीणा**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

सेशन प्रकरण संख्या – 57/2024

प्रथम सूचना संख्या – **11/2024, थाना बिजयपुर, जिला चित्तौडगढ़**

सीएनआर नंबर – RJCT010027402024

अपराध अन्तर्गत धारा 354 सी, 354 डी, 306 भारतीय दण्ड संहिता

परिवादीया	श्रीमती सायर देवी पत्नी नारायणलाल तेली, उम्र वयस्क, निवासी बिजयपुर जिला चित्तौडगढ़, राजस्थान
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	मदनलाल पिता बंशीलाल, निवासी बिजयपुर, थाना बिजयपुर, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री महेन्द्र सिंह मेडतिया
अधिवक्ता परिवादी	अपर लोक अभियोजक

सुसंगत तारीखों का विवरण –

घटना की दिनांक	30–01–2024 से पूर्व
प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रस्तुति दिनांक	30–01–2024
आरोप पत्र प्रस्तुति दिनांक	08–08–2024
आरोप सुनाये जाने की दिनांक	20–01–2025
अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने की दिनांक	12–06–2025
बहस सुनने की दिनांक	30.06.2026
निणर्य सुरक्षित रखने की दिनांक	06.07.2026
निणर्य की दिनांक	06.07.2026
दण्डादेश पारित करने की दिनांक (यदि लागू हो)	निल

अभियुक्त का विवरण –

क्रम सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहाई की दिनांक	आरोप धारा	दोषमुक्त या दोषसिद्ध किया	क्या सजा दी गयी	पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा का विवरण
1	मदनलाल	26–03–2024		धारा 354 सी, 354 डी, 306 भादस	–	–	दिनांक 27–03–2024 से 03–04–2024 तक न्यायिक अभिरक्षा में।

–निर्णय–

दिनांकः 06.07.2026

01. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30.01.24 को प्रार्थीया श्रीमती सायर देवी पत्नी नारायण लाल ने उपस्थित थाना बिजयपुर हो एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसकी पुत्रवधू श्रीमति ममता पत्नी श्री दिनेशचन्द्र तेली जिसको उसके गांव ही मदनलाल पिता बंशीलाल आचार्य द्वारा आये दिन परेशान और प्रताडीत किया जाता रहा है एवं उसकी पुत्रवधू के साथ दोस्ती करने को कहा जाता था एवं शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता, जिससे परेशान होकर मेरी पुत्रवधू ने उसे कई बार मना किया परन्तु वो नहीं माना एवं उस प्रार्थीया की पुत्रवधू के साथ उसे बहला फुसलाकर कर उसके अश्लील फोटो खिंच लिये एवं अब उसकी पुत्रवधू को अत्यधिक परेशान और प्रताडीत करने से दिनांक 30.01.2024 को उसकी पुत्रवधू ने जहर विषक्त वस्तु का सेवन कर लिया है जो सांवलिया जी सामान्य चिकित्सालय में आईसीयू में ईलाजरत है जो मौत व जिन्दगी के बीच जूझ रही है जो घटना उसकी पुत्रवधू ने मदनलाल पिता बंशीलाल आचार्य निवासी बिजयपुर के दबाव में आकर कारित की है। उक्त तहरीर रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना बिजयपुर जिला चित्तौडगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 11/2024 जुर्म धारा 354 सी, 354 डी व 306 भारतीय दण्ड संहिता में

दर्ज की गयी एवं बाद अनुसंधान अभियुक्त मदनलाल के विरूद्ध धारा 354 सी, 354 डी व 306 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाये जाने से आरोप पत्र न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट चित्तौडगढ में पेश किया गया । संबंधित न्यायालय द्वारा अभियुक्त मदनलाल के विरुद्ध धारा 354 सी, 354 डी व 306 भारतीय दण्ड संहिता में प्रसंज्ञान लिया जाकर पत्रावली न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौडगढ को कमिट की गयी । न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश चित्तौडगढ से उक्त पत्रावली दिनांक 28–08–2025 को अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुई ।

02. प्रकरण में अभियुक्त मदनलाल को दिनांक 20–01–2025 को धारा 354 सी, 354 डी व 306 भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित कर सुनाया एवं समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही ।

03. **अभियोजन की ओर से निम्न गवाह परीक्षित कराये गये –**

गवाह	गवाह का नाम	गवाही का विवरण
पी.ड.01	श्रीमती सायर बाई	एफआईआर कर्ता, फर्द शिनाख्तगी लाश की ताईद करना
पी.ड.02	दिनेश	फर्द पंचायतनामा लाश व अपने पुलिस बयानों की ताईद करना
पी.ड.03	भैरूलाल	फर्द पंचायतनामा लाश, फद सुपुर्दगी लाश की ताईद करना
पी.ड.04	दिनेश आचार्य	फर्द जब्ती मोबाईल की ताईद करना
पी.ड.05	शम्भूलाल	फर्द पंचायतनामा लाश, फद सुपुर्दगी लाश की ताईद करना
पी.ड.06	गोपाल	स्वयं के पुलिस बयानों की ताईद करना
पी.ड.07	राजेश कुमार तेली	स्वयं के पुलिस बयानों एवं नक्शा मौका की ताईद करना
पी.ड.08	धर्मराज मीणा	अनुसंधानकर्ता व मालखाना की ताईद करना
पी.ड.09	जोगेन्द्र	फर्द गिरफतारी अभियुक्त की ताईद करना
पी.ड.10	अमित	फर्द जब्ती मोबाईल व फर्द गिरफतारी अभियुक्त की ताईद करना

पी.ड.11	डॉ. जितेन्द्र वर्मा	मृतका ममता देवी के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की ताईद करना
पी.ड.12	पन्ना लाल मेनारिया	शेष अनुसंधान व चार्जशीट पेश करने की ताईद करना

04. **अभियोजन की ओर से निम्न दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये –**

प्रदर्श सं.	दस्तावेज का विवरण
प्रदर्श पी.1	लिखित रिपोर्ट
प्रदर्श पी.2	परिवादीया सायर देवी के पुलिस बयान
प्रदर्श पी.3	पर्चा मौका
प्रदर्श पी.4	पंचनामा लाश मृतका ममता देवी
प्रदर्श पी.5	फर्द सुपुर्दगी लाश मृतका ममता देवी
प्रदर्श पी.6	दिनेश के पुलिस बयान व जप्ती मोबाईल
प्रदर्श पी.7	गवाह के पुलिस बयान
प्रदर्श पी.8	पुलिस बयान राजेश
प्रदर्शपी.10	पोस्टमार्टम कराने हेतु दी गयी तहरीर
प्रदर्श.पी.11	मृतका का फोटो
प्रदर्श.पी.12	ममता देवी के ईलाज के दौरान बयान लेखबद्ध करने हेतु एमओ को दी गयी तहरीर
प्रदर्श पी.13	पोस्टमार्टम रिपोर्ट
प्रदर्श पी.14	एफएसएल भिजवाने का थाना बिजयपुर का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी.15	एफएसएल भिजवाने का एसपी आफिस चित्तौडगढ का अग्रेषण पत्र
प्रदर्श पी.16	एफएसएल प्राप्ति रसीद
प्रदर्श पी.17	असल मालखाना रजिस्टर
प्रदर्श पी.18	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त
प्रदर्श पी.19	मेडिकल ज्यूरिस्ट की रिपोर्ट
प्रदर्श पी20	अभियुक्त का आपराधिक रिकॉर्ड
प्रदर्श पी21	एफएसएल रिपोर्ट

06. अभियुक्ता मदनलाल को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया जिसमें उसके विरुद्ध साक्ष्य को गलत बताया एवं स्वयं को निर्दोष होना, झूठा फंसाया जाना का कथन किया है। अभियुक्ता की ओर से प्रतिरक्षा में पृथक से कोई मुख्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी।

07. न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु निम्नलिखित हैः–

1– यह कि दिनांक 30–01–2024 से पूर्व किसी समय तेलियों का मोहल्ला विजयपुर में मृतका को बहला फुसलाकर मोबाईल से उसके अश्लील फोटों खींच कर परेशन किया व मृतका के साथ दोस्ती करने एवं शारीरिक संबंध बनाने हेतु लगातार पीछा किया जिससे परेशान होकर मृतका ने जहर का सेवन कर लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी ?

2– यदि हां तो अभियुक्त किस सजा के हकदार होंगे ?

08. बहस अंतिम सुनी गई। सुना गया, पत्रावली पर विद्यमान मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का मुख्य रुप से यह तर्क रहा कि प्रकरण में अभियुक्त संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक् ने मृतका को परेशान कर उसे आत्महत्या के लिए उकसाया हो । अतः अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है । अतः अभियुक्ता को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया । जबकि विद्वान लोक अभियोजक का तर्क् रहा कि प्रकरण में अभियोजन पक्ष के द्वारा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। उनसे अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध हेतु दोषसिद्ध किया जाकर कठोर दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया है।

09. प्रकरण में पीडब्ल्यू–1 सायर बाई (शिकायतकर्ता मृतका की सास) अभियोजन की सबसे महत्वपूर्ण गवाह है, प्रथम सूचना रिपोर्ट इसी के द्वारा दर्ज

करायी गयी थी किन्तु न्यायालय के समक्ष इस गवाह ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसे नहीं पता कि ममता को कौन परेशान करता था, उसे नहीं पता कि मदनलाल का ममता से क्या संबंध था, उसे यह भी नहीं पता कि ममता की मृत्यु कैसे हुई, उसे केवल अस्पताल में मृत्यु होना का पता चला । उक्त गवाह को लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित करने पर इस गवाह ने जिरह में स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस ने रिपोर्ट पढकर नहीं सुनायी, केवल अंगूठा लगाया था । पुलिस ने उसके बयान नहीं लिए, पुलिस ने खाली कागजों पर अंगूठा लगवाया था । उसने पुलिस को ऐसा कोई बयान नहीं दिया कि अभियुक्त के कारण उसकी पुत्रवधू ने आत्महत्या की हो । उक्त गवाह ने प्रथम सूचना रिपोर्ट का कोई समर्थन नहीं किया है । न्यायालय के मत में जब स्वयं प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रार्थीया ही आरोप से पूर्णतः मुकर गई हो तथा अभियोजन द्वारा की गयी जिरह में भी अभियोजन पक्ष का कोई महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध नहीं हुआ है, तब प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं दौराने अनुसंधान दर्ज किये गये बयानों का भी कोई महत्व नहीं रह जाता । पीडब्ल्यू–2 दिनेश कुमार (मृतका का पति) यह भी अभियोजन का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी है । मुख्य परीक्षण में इस गवाह ने कहा कि वह खेत से घर आया तो उसकी पत्नी ने उल्टी कर रखी थी, उसका जी घबरा रहा था, उसे सांवलियांजी हॉस्पीटल लेकर गये डॉक्टर ने देखकर कहा कि इसकी मृत्यु हो चुकी है । गवाह ने उसकी मृत्यु प्राकृतिक होने का कथन किया है । उक्त गवाह को भी लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी । जिरह में गवाह ने स्पष्ट रूप से इन्कार किया कि उसकी पत्नी ने मदनलाल द्वारा उसके साथ छेडछाड करने व पैसों के लेनदेन को लेकर तंग आकर आत्महत्या कर ली हो । गवाह ने पुलिस को दिये गये बयानों के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों से इन्कार किया है । मृतक का पति भी अभियोजन की सम्पूर्ण घटनाक्रम का समर्थन नहीं करता है यदि आत्महत्या वास्तव में अभियुक्त की प्रताडना से हुई होती तो सर्वप्रथम इसका ज्ञान मृतका के पति को होना स्वाभाविक है किन्तु उसने न्यायालय के समक्ष अभियोजन कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है ।

10. प्रकरण में गवाह पीडब्ल्यू–1 सायर बाई व पीडब्ल्यू–2 दिनेश अभियोजन के दो महत्वपूर्ण गवाह हैं । दोनों ने ही अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताडित करने, पीछा करने, अश्लील फोटो लेने, आत्महत्या के लिए उकसाने बाबत कोई कथन नहीं किये हैं । उक्त दोनों गवाह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं । पक्षद्रोही गवाहों के संबंध में विधिक स्थिति यह है कि केवल किसी गवाह के पक्षद्रोही घोषित हो जाने मात्र से उसकी सम्पूर्ण गवाही स्वतः अस्वीकार्य नहीं हो जाती, न्यायालय इस गवाही के उस भाग को विश्वास कर सकता है जो हमें समर्थन प्रदान करता हो एवं जिसकी विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्टि हो । किन्तु वर्तमान मामले में स्थिति भिन्न है । पीडब्ल्यू–1 व पीडब्ल्यू–2 की गवाही का ऐसा कोई भाग नहीं है जो अभियोजन कहानी का समर्थन करते हो । दोनों गवाहों ने अभियोजन की कहानी बाबत कोई कथन नहीं किया है । गवाह पीडब्ल्यू–3 भैरूलाल है, यह गवाह पंचनामा एवं सुपुर्दगी का गवाह है । इसने मृतका का पोस्टमार्टम व पंचनामा एवं सुपुर्दगी लाश पर हस्ताक्षर किये जाने का कथन किया है । जिरह में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि दस्तावेजों में क्या लिखा था । उसने केवल हस्ताक्षर किये थे । इस गवाह ने अभियुक्त द्वारा मृतका को प्रताडित करने, पीछा करने तथा अश्लील फोटो लेने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है । अतः इसकी साक्ष्य पूर्णतः औपचारिक है व अभियोजन कहानी को किसी प्रकार से समर्थन नहीं देती है । यह गवाह कथित मोबाइल जब्ती का गवाह बनाया गया है। मुख्य परीक्षण में इसने जब्ती मेमो पर हस्ताक्षर स्वीकार किए, किन्तु प्रतिपरीक्षण में स्पष्ट कहा कि उसके सामने कोई मोबाइल जप्त नहीं किया गया तथा पुलिस ने उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाए थे। फलतः जब्ती की विश्वसनीयता पर भी प्रश्नचिह्न उत्पन्न हो गया। पीडब्ल्यू–5 शम्भूलाल, इस गवाह ने भी केवल पंचनामा व सुपुर्दगी लाश पर हस्ताक्षर किये जाने का कथन किया है । गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पुलिस ने दस्तावेज पढकर नहीं सुनाये । इस गवाह की साक्ष्य पूर्णतः औपचारिक है । पीडब्ल्यू–6 गोपाल यह स्वतंत्र गवाह है यदि अभियोजन कहानी वास्तव में घटित होती तो इस गवाह से प्रताडना व पीछा करने का तथ्य सिद्ध हो

सकता था । किन्तु इस गवाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि उसे नहीं मालूम कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई । उक्त गवाह पक्षद्रोही घोषित हुआ है । किन्तु अभियोजन की जिरह से भी यह तथ्य नहीं सिद्ध नहीं हो हुआ है । पीडब्ल्यू–7 राजेश इस गवाह ने भी अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी से इन्कार किया है । ममता की मृत्यु कैसे हुई, पता नहीं होने का कथन किया । उक्त गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर जिरह की गयी जिसने प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई कथन नहीं किया जिससे अभियोजन कहानी को बल मिलता हो ।

11. अतः पीडब्ल्यू–3 से पीडब्ल्यू–7 तक किसी भी गवाह ने अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध बाबत कोई कथन नहीं किया है । पीडब्ल्यू–8 धर्मराज मीणा (अनुसंधान अधिकारी) इस गवाह ने प्रकरण में अनुसंधान किये जाने एवं अनुसंधान की सम्पूर्ण कार्यवाही का विवरण अपने बयानों में दिया है । किन्तु प्रतिपरीक्षा में इसने महत्वपूर्ण स्वीकारोक्ति दी है कि– किसी भी गवाह ने यह नहीं बताया कि अभियुक्त ने किस दिन, किस समय मृतका को परेशान किया, किसी भी गवाह ने घटना का उल्लेख नहीं किया । अनुसंधान के दौरान मृतका के अश्लील फोटो प्राप्त नहीं हुए है । यह जानकारी नहीं मिली कि मृतका ने विष कहां से प्राप्त किया । उक्त स्वीकारोक्ति उसे अभियोजन कहानी और अधिक कमजोर हो जाती है । पीडब्ल्यू–9 व पीडब्ल्यू–10 गवाह जिनमें गवाह पीडब्ल्यू–9 ने केवल गिरफ्तारी बाबत कथन किया, पीडब्ल्यू–10 ने अभियुक्त को अनुसंधान अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार करने व अभियुक्त से मोबाईल जब्त किये जाने का कथन किया है । इनकी साक्ष्य केवल गिरफ्तारी एवं मोबाईल जब्ती तक सीमित है । यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि गिरफ्तारी सिद्ध हो जाने से अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है । स्वयं अनुसंधान अधिकारी ने अपने बयानों में कोई फोटोग्राफ जब्त नहीं किये जाने का कथन किया है । पत्रावली में ऐसी कोई फोटोग्राफ एवं इलैक्ट्रोनिक रिकॉर्ड संलग्न नहीं है जिससे यह तथ्य स्पष्ट हो कि अभियुक्त के कब्जे से दौराने अनुसंधान जो मोबाईल जब्त किया गया था उसमें मृतका के कथित अश्लील फोटो प्राप्त हुए हो । ऐसे में मोबाईल फोटो जब्ती का कोई महत्व नहीं रह जाता । पीडब्ल्यू–11 डॉ.

जितेन्द्र वर्मा ने मृतका का पोस्टमार्टम किया, उसकी राय के अनुसार मृतका की मृत्यु ऑर्गेनो फॉस्फोरस विष के कारण हुई थी । चिकित्सकीय साक्षी की साक्ष्य केवल मृत्यु का कारण सिद्ध करती है , यह कहीं भी सिद्ध नहीं करती है कि विष का सेवन अभियुक्त के प्रताडित किये जाने या उकसाने के कारण हुई । गवाह पीडब्ल्यू–12 पन्ना लाल शेष अनुसंधान किये जाने एवं धारा 354 सी, 354 डी, 306 भादस का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर चार्जशीट प्रस्तुत किये जाने का कथन किया है । प्रतिपरीक्षा में उक्त गवाह ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि जब्ती के समय अभियुक्त के मोबाईल से कोई अश्लील फोटो इत्यादि नहीं पायी गयी । मृतका ममता से संबंधित कोई फोटो नहीं थे । गवाह बयान से ऐसा कोई तथ्य नहीं आया कि दौराने अनुसंधान अभियुक्त के मोबाईल का एफएसएल कराया हो एवं अभियुक्त के मोबाईल से मृतका के कथित फोटो/अश्लील फोटो रिकवर हुए हो

M. Mohan v. State (2011) 3 SCC 626 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है किः——45. Abetment involves a mental process of instigating a person or intentionally aiding a person in doing of a thing. Without a positive act on the part of the accused to instigate or aid in committing suicide, conviction cannot be sustained.

46. The intention of the Legislature and the ratio of the cases decided by this court are clear that in order to convict a person under section 306 IPC there has to be a clear mens rea to commit the offence. It also requires an active act or direct act which led the deceased to commit suicide seeing no option and this act must have been intended to push the deceased into such a position that he/she committed suicide.

प्रकरण में स्वयं परिवादियॉ व उसका पति न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुये और उन्होने अभियोजन की कहानी का कही समर्थन नही किया है।

12. अभियोजन का सम्पूर्ण आरोप इस बात पर आधारित है कि अभियुक्त ने मृतका के अश्लील फोटो लेकर उसे प्रताडित किया किन्तु ऐसे कोई फोटो बरामद नहीं हुए हैं । मोबाईल से कोई फोटो रिकवर नहीं हुए और न ही कोई एफएसएल रिपोर्ट पेश हुई जिससे यह साबित हो कि मोबाईल में मृतका के फोटो हो और प्रकरण में अभियोजन के महत्वपूर्ण गवाह पीडब्ल्यू–1 (शिकायतकर्ता) , पीडब्ल्यू–2 मृतका का पति, पीडब्ल्यू–6 व पीडब्ल्यू–7 लगभग सभी महत्वपूर्ण गवाह अभियोजन कहानी से विमुख हो गये जिन्होंने न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा लगाये गये आरोप बाबत कथन नहीं किये है ।

13. अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्त मदनलाल के विरूद्ध धारा 354 सी, 354 डी, 306 भादस का अपराध संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। अतः अभियुक्त मदनलाल को उसके विरूद्ध आरोपित अपराध धारा 354 सी, 354 डी, 306 भादस के आरोप से संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

– आदेश –

14. परिणामतः अभियुक्त मदनलाल पिता बंशीलाल, निवासी बिजयपुर, थाना बिजयपुर, जिला चित्तौडगढ, राजस्थान को आरोपित अपराध अंतर्गत 354 सी, 354 डी, 306 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है । अभियुक्ता के अन्वीक्षा कालीन जमानत मुचलके नियमानुसार निरस्त किये जाते है।

(राजेश कुमार मीणा)

15. उक्त निर्णय आज दिनांक 06–07–2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया जाकर, लिखाया गया ।

(राजेश कुमार मीणा)